

Case No.03A /2016

Filling no,234503009172014

न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

व्य0वादप्रक0 क्र0-03ए / 2016

संस्थित दिनांक 26.11.2014

चेतनसिंह उम्र-80 वर्ष पिता दुरगूसिंह जाति गोंड,
निवासी ग्राम दलवाड़ा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट (म0प0)।

.....वादी।

विरुद्ध

- 1.बहादुरसिंह उम्र-52 वर्ष पिता सुमरन, निवासी दलवाड़ा,
 - 2.कुसमीबाई उम्र-50 वर्ष पति शंकरलाल निवासी तिरगांव,
 - 3.प्रकाश उम्र-48 वर्ष पिता सुमरन, निवासी दलवाड़ा,
 - 4.जयपाल उम्र-46 वर्ष पिता सुमरन, निवासी दलवाड़ा,
 - 5.उदयसिंह उम्र-40 वर्ष, पिता सुमरन निवासी दलवाड़ा,
 - 6.उमाशंकर उम्र-38 वर्ष पिता सुमरन निवासी दलवाड़ा,
 - 7.धिनराज उम्र-35 वर्ष पिता सुमरन निवासी दलवाड़ा,
 - 8.शकुनतला उम्र-25 वर्ष पिता सुमरन निवासी दलवाड़ा,
- सभी जाति गोंड, तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट।
- 9.म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण।

—:: निर्णय ::—

—:: दिनांक 02.12.2016 को घोषित ::—

1. यह वाद वादग्रस्त संपत्ति मौजा दलवाड़ा, प.ह.न.26/13 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 47/49 रकबा 0.64/0.259 हेक्टेयर की भूमि में से 3.00 डिसमिल भूमि पर वादी के विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत है कि वादी, प्रतिवादीगण का बड़ा पिता है।
3. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि मौजा दलवाड़ा, प.ह.न.26/13 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट में है और वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि से लगकर प्रतिवादीगण की भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान के लोग हैं। ग्राम दलवाड़ा प.ह.नं. 26/13 स्थित खसरा नंबर 47/49 रकबा 0.64/0.259 हेक्टेयर भूमि वादी के स्वत्व की भूमि है और इस भूमि के सरहद में खसरा नंबर 49/55 की भूमि पर वादी ने वर्ष 1973 में कुएं का निर्माण किया था। उपरोक्त भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज सुमरनसिंह के स्वत्व की भूमि थी और लगभग 03 डिसमिल भूमि पर वादी का आधिपत्य सुमरन की जानकारी में था, परन्तु उसने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की। इसी भूमि पर वादी ने एक छपरी का निर्माण भी किया था, जो वादी के कब्जे में है और वादी लगातार आज दिनांक तक उपरोक्त भूमि, कुएं तथा छपरी का उपयोग बतौर मालिक काबिज करते चले आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 24.04.2014 को वादी से विवाद किया गया और वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य में हस्तक्षेप किया गया। वादी ने वादग्रस्त भूमि को वाद नक्शे में अ, ब, स एवं द से चिह्नित किया है। प्रतिवादीगण ने वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य को चुनौती देने के लिये एक व्यवहार वाद क्रमांक 98-अ-2000 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर के समक्ष प्रस्तुत किया था और वादी के कब्जे की कुल 05 डिसमिल भूमि के कब्जे प्राप्ति की मांग अपने व्यवहार वाद में की थी। यह व्यवहार वाद क्रमांक 98-अ-2000 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर द्वारा दिनांक 11.04.2002 को निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा न ही इस भूमि के कब्जे के लिये कोई कार्यवाही की गई और न तो भूमि प्राप्त करने के लिये कोई अपील की गई। वर्ष 2002 से 12 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी वादी का वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्ण आधिपत्य है, इसलिये वादी का प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व परिपक्व हो गया है। अतः वादी को वादग्रस्त भूमि का स्वामी घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को निषेधित किया जावे कि वे वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य में हस्तक्षेप न करें।
4. वादी द्वारा अपने वाद का मूल्यांकन के घोषणा हेतु 1,000/- रुपये, स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा हेतु 1,000/- रुपये, अंश निर्धारण की निर्धारित शुल्क 500/- रुपये तथा स्थाई निषेधाज्ञा वाद मूल्य के आधार पर निर्धारित 120/- रुपये कुल 620/- रुपये न्यायशुल्क चरपा किया है।

5. स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 ने यह कहा है कि वादग्रस्त भूमि मूलतः स्व० दुरगूसिंह के स्वत्व की संपत्ति थी, जिसके तीन पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र वादी चेतनसिंह है, बीच वाला पुत्र प्रतिवादीगण के पिता सुमरनसिंह तथा तीसरा पुत्र इमरतसिंह है, जिनमें से सुमरनसिंह की मृत्यु हो चुकी है। स्व० दुरगूसिंह ने अपनी संपत्ति की व्यवस्था एवं बंटवारा किया था और खसरा नंबर 47/49 रकबा 0.64/0.259 की भूमि वादी को दी थी। प्रतिवादीगण के पिता सुमरनसिंह को खसरा नंबर 47/55 रकबा 0.32 डिसमिल तथा इमरतसिंह को खसरा नंबर 47/3-4 रकबा 0.32 डिसमिल की भूमि दी थी तथा तीनों पुत्रों के निस्तार के लिये एक कुंआ खसरा नंबर 47/3-4 एवं खसरा नंबर 47/55 की मेढ़ पर बनाया गया था। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में जिन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है, उसमें भी कुंआ खसरा नंबर 47/3-4 में दर्शित है। वादग्रस्त स्थान पर बना कुंआ प्रतिवादीगण के कब्जे में है और कुएं के पानी का निस्तार सब लोग करते हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमांकन नहीं कराया गया है जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो सके। वादी ने प्रतिवादीगण के कब्जे की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया तो प्रतिवादीगण ने इस बाबद् रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज कराई थी। खसरा नंबर 47/3-4 में कुंआ होना दर्ज है और यह भूमि इमरत के स्वत्व की भूमि है और उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिये इस दावे में पक्षकारों का कुसंयोजन है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व की घोषणा चाही गई है, वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है इसलिये इस पर विरोधी आधिपत्य का सिद्धांत लागू नहीं होता है। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादी का दावा निरस्त किया जावे।

6. प्रतिवादी क्रमांक 09 म०प्र० शासन द्वारा प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है और उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

7. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी का मौजा दलवाड़ा प.ह.नं. 26/13 की खसरा नंबर 47/55 की 03 डिसमिल भूमि जिसे कि वाद मानचित्र में अ, ब, स एवं द से दर्शाया गया है पर प्रतिवादीगण की जानकारी में उनके स्वत्व को नकारते हुये 12 वर्ष से अधिक अवधि से शांतिपूर्ण निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है और वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त भूमि का स्वामी घोषित किया जा सकता है या नहीं ?	
2	क्या उक्त विवादित भूमि का प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	
3	सहायता एवं खर्च ?	

वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष:-

8. इस वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में यह कहा है कि ग्राम दलवाड़ा प.ह.नं. 26/13 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट की खसरा नंबर 47/49 की 64 डिसमिल भूमि उसके स्वामित्व की भूमि है, जिसपर उसका आवासीय मकान बना हुआ है। खसरा नंबर 47/55 में से 03 डिसमिल भूमि पर वादी चेतनसिंह वा.सा.01 का कब्जा है और उसपर उसने छपरी बनाई है, जिससे लगकर सरहद पर एक कुंआ बना हुआ है। वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने वर्ष 1973 में इस कुएं का निर्माण किया था, तब से वह कुंआ उसके कब्जे में है। प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा 03 डिसमिल भूमि के कब्जे के लिये दावा पेश किया गया था तो वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने उस भूमि पर विरोधी आधिपत्य होने का कथन किया था

Filling no,234503009172014

परन्तु कब्जा मात्र दो वर्ष का प्रमाणित हुआ था और उपरोक्त व्यवहार वाद निरस्त किया गया था। पूर्व में प्रस्तुत व्यवहार वाद में वादी चेतनसिंह वा.सा.01 का खसरा नंबर 47/55 के अ, ब, स एवं द के भू-भाग पर दिनांक 05.06.2000 को कब्जा होने के संबंध में पुष्टि की गई थी। उपरोक्त व्यवहार वाद के 12 वर्ष होने पर भी वादी का वर्तमान में कब्जा चला आ रहा है इसलिये वह वादग्रस्त भूमि का विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वामी हो चुका है। अपने कथनों के समर्थन में वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने व्यवहार वाद क्रमांक 98अ-2000 में पारित निर्णय दिनांक 11 अप्रैल, 2002 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.10 अभिलेख पर प्रस्तुत की है। प्र.पी.10 का निर्णय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैहर के द्वारा पारित निर्णय है, जिसमें वादी सुमरनसिंह (इस प्रकरण के प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 का पिता) द्वारा वारसान विरुद्ध चेतनसिंह वल्द दुरगूसिंह में निर्णय व आज्ञाप्ति दिनांक 11 अप्रैल, 2002 को पारित की गई थी।

9. राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 47/49 रकबा 0.259 हेक्टेयर भूमि वादी चेतनसिंह वा.सा.01 के नाम पर दर्ज है इसे सिद्ध करने के लिये खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2014-15 प्र.पी.01 तथा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2014-15 प्र.पी.02 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। संबंधित पटवारी द्वारा दिया गया ट्रेस नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.03 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। इस ट्रेस नक्शा प्र.पी.03 में कुंआ की स्थिति खसरा नंबर 47/3-4 की भूमि पर होना दर्शित है एवं खसरा नंबर 47/55 की मेढ़ कुंआ की सरहद पर मिलती है, यह बात प्र.पी.03 से दर्शित है। वादी चेतनसिंह वा.सा.01 के स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 47/49 की स्थिति स्पष्ट करने के लिये ट्रेस नक्शा प्र.पी.04 वादी चेतनसिंह ने अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण के पिता सुमरनसिंह पिता दुरगूसिंह के नाम पर खसरा नंबर 47/55 रकबा 0.129 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है, इसे सिद्ध करने के लिये खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2013-14 प्र.पी.05 तथा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2013-14 प्र.पी.06 वादी ने अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने अपने पक्ष समर्थन में खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2014-15 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.07 भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्र.पी.07 दस्तावेज खसरा फार्म पी-2 में खसरा नंबर 47/49 रकबा 0.259 हेक्टेयर भूमि वादी चेतनसिंह पिता दुरगूसिंह के नाम पर दर्ज होना दर्शित है। उल्लेखनीय है कि जहाँ प्र.पी.01 खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2014-15 में खसरा नंबर 47/49 की भूमि के कॉलम 12, कैफियत में मकान 0.020 होने का उल्लेख है वहीं प्र.पी.07 खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2014-15 में खसरा नंबर 47/49 के कॉलम 12 कैफियत में मकान 0.020 तथा कच्चा कुंआ 01 होने का उल्लेख है। इस प्रकार एक ही राजस्व अभिलेख में दो

अलग-अलग इंद्राज कैफियत कॉलम में होना दर्शित है। संबंधित पटवारी द्वारा दिया गया ट्रेस नक्शा जो दिनांक 31.05.2015 को जारी किया गया है, उसमें खसरा नंबर 47/49 की सरहद पर कुएं की स्थिति दर्शाई गई है। वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने वादपत्र में वाद मानचित्र का उल्लेख किया है। वह वाद मानचित्र प्र.पी.09 अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें अ, ब, स एवं द की भूमि लाल स्याही से चिह्नित किया गया है।

10. वादी के कथनों का समर्थन वादी साक्षी दीमाकचंद वा.सा.02 ने भी किया है और कहा है कि वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने लगभग 40 वर्ष पूर्व अपनी जमीन पर कुंआ का निर्माण कराया था और वह कुंआ आज भी वादी चेतनसिंह के कब्जे में है। वादी साक्षी दीमाकचंद वा.सा.02 ने अपने शपथ पत्र में यह भी कहा है कि जिस स्थान पर कुंआ बना हुआ है उस स्थान को प्रतिवादी बहादुर वगैरह अपनी जमीन कहते हैं। वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि स्व0 दुरगूसिंह के 03 पुत्र थे। वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा 03 भागों में हुआ था जिसमें से खसरा नंबर 47/49 रकबा 64 डिसमिल भूमि उसके हिस्से में आई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण के पिता सुमरनसिंह के हिस्से में खसरा नंबर 47/55 की रकबा 32 डिसमिल भूमि आई थी और इमरतसिंह को हिस्से में खसरा नंबर 47/3-4 रकबा 32 डिसमिल भूमि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व0 दुरगूसिंह की होना तथा वादग्रस्त भूमि का बंटवारा होना अविवादित है। प्रतिपरीक्षण में वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने यह अस्वीकार किया है कि वादग्रस्त कुंआ खसरा नंबर 47/55 एवं खसरा नंबर 47/3-4 की मेढ़ पर बना है। उसका कहना है कि खसरा नंबर 47/49 की भूमि पर कुंआ बना हुआ है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.पी.01 के दस्तावेज के कैफियत कॉलम में मकान होने का उल्लेख है तथा कुंआ का उल्लेख नहीं है। प्र.पी.03 ट्रेस नक्शे में कुंआ खसरा नंबर 47/3-4 की भूमि पर होना दर्शाया गया है। यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी.07 दस्तावेज में कैफियत कॉलम 12 में कच्चा कुंआ तथा मकान होना दर्ज है।

11. वादी चेतनसिंह द्वारा यह दावा विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व धोषणार्थ प्रस्तुत किया गया है और वादी चेतनसिंह वा.सा.01 का यह कथन है कि कुंआ प्रतिवादीगण की भूमि पर बना होने से वह उस भूमि का विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वामी है जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में वादी चेतनसिंह वा.सा.01 का यह कहना है कि कुंआ खसरा नंबर 47/49 की भूमि पर बना है।

प्र.पी.01 के अनुसार खसरा नंबर 47/49 की भूमि वादी चेतनसिंह वा.सा.01 के नाम पर दर्ज है। इस प्रकार वादी चेतनसिंह वा.सा.01 की भूमि पर ही कुंआ बना हुआ है और अपनी ही भूमि का विरोधी आधिपत्य में होने का आधार लिया जाना तर्कसंगत नहीं है।

12. प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में वादी चेतनसिंह वा.सा.01 से यह प्रश्न भी किया गया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में कुंआ खसरा नंबर 47/3-4 की भूमि पर दर्ज था और बाद में इसे खसरा नंबर 47/49 की भूमि पर होना दर्ज करवाया गया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 14 में वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने यह स्पष्टतः यह स्वीकारोक्ति की है कि वर्ष 2000 से आज तक उसका प्रतिवादीगण से झगड़ा चला आ रहा है, जिससे यह दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा शांतिपूर्ण नहीं है।

13. प्रतिवादी साक्षी जयपाल प्र.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि उसके पिता सुमरनसिंह को खसरा नंबर 47/55 की रकबा 32 डिसमिल भूमि प्राप्त हुई थी। उसके बड़े पिता वादी चेतनसिंह को खसरा नंबर 47/49 की रकबा 64 डिसमिल भूमि प्राप्त हुई थी तथा उसके चाचा इमरतसिंह को खसरा नंबर 47/3-4 की रकबा 32 डिसमिल भूमि प्राप्त हुई थी और तीनों पुत्रों के निस्तार के लिये खसरा नंबर 47/3-4 की मेढ़ पर एक कुंआ बनाया गया था, जिसका उपयोग सभी लोग करते चले आ रहे हैं। वादी चेतनसिंह ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, उसमें कुंआ खसरा नंबर 47/3-4 की भूमि में होना दर्शित है। वादी चेतनसिंह ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर खसरा नंबर 47/3-4 की भूमि पर बने कुएं को जो खसरा नंबर 47/55 की सरहद पर मिलती है, पर बने कुएं को स्वयं की भूमि खसरा नंबर 47/49 में बना होना दर्शाया है। प्रतिवादी साक्षी जयपाल प्र.सा.01 ने कहा है कि कुंआ प्रतिवादीगण के कब्जे में है और प्रतिवादीगण ने किसी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है इसलिये इस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा मांगना विधि-विरुद्ध है। प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी साक्षी जयपाल प्र.सा.01 से यह पूछा गया है कि उसे वर्ष 2002 में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर के न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद की जानकारी है या नहीं तो साक्षी ने कहा है कि उसे इस बाबद् जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि कुंआ खसरा नंबर 47/55, खसरा नंबर 47/3-4 की मेढ़ पर बना हुआ है, इस बात के लिये उसने कोई सीमांकन नहीं करवाया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वादी चेतनसिंह वा.सा.01 की विवाद वाली भूमि से लगकर छपरी है और मकान भी है। साक्षी ने यह स्वतः कथन किया

है कि छपरी किस नंबर की भूमि पर बनी है, इसकी उसे जानकारी नहीं है। वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा 03 डिसमिल की भूमि हेतु दावा प्रस्तुत किया था, जिसमें वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने उस भूमि पर अपना विरोधी आधिपत्य होना कहा था, परन्तु उसका कब्जा मात्र दो वर्ष का होना प्रमाणित हुआ था और प्रतिवादी बहादुर का वाद निरस्त किया गया था।

14. तत्संबंध में व्यवहार वाद क्रमांक 98-अ/2000 में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2002 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.10 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्र.पी.10 दस्तावेज व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैहर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2002 में वादप्रश्न क्रमांक 05 इस प्रकार विरचित किया गया था कि "क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 विरोधी आधिपत्य के आधार पर 0.5 डिसमिल विवादित भूमि का स्वामी बन गया है"। प्र.पी.10 के निर्णय की कंडिका क्रमांक 20 में वादप्रश्न क्रमांक 05 का निष्कर्ष दिया गया है और यह निष्कर्ष निम्नानुसार है "जहाँ तक प्रतिवादी क्रमांक 01 का यह कहना है कि वह विरोधी आधिपत्य के आधार पर 0.5 डिसमिल भूमि का स्वामी बन गया है तो प्रथमतः यह प्रमाणित नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 वादी का 0.5 डिसमिल भूमि पर कब्जा किए हुए है और यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाए तो, जब सीमांकन होता है और वास्तविक जानकारी होती है कि अवैध कब्जा किसका है उस सीमांकन दिनांक से ही मर्यादाकाल शुरू होता है और उसके बाद ही यदि 12 वर्ष तक विरोधी कब्जा है तभी विरोधी आधिपत्य पूर्ण होता है। इस प्रकरण में जैसा वादी का अभिवचन है कि उसके द्वारा सीमांकन 30.12.90 को कराया गया था जिसमें 0.3 डिसमिल जमीन प्रतिवादी के कब्जे में पाई गई थी। अर्थात् वादी को 30.12.90 को ही इस बात की जानकारी हो गई कि प्रतिवादी क्रमांक 01 का कब्जा उसकी जमीन पर है तो समय की गणना 30.12.90 से ही शुरू होगी और वादी ने यह दावा 21.06.2000 को पेश किया है अर्थात् प्रतिवादी का कब्जा 12 वर्ष हुए नहीं माना जा सकता, भले ही किसी व्यक्ति का कब्जा कितने लंबे समय से हो, किंतु विरोधी आधिपत्य की शुरुआत तब से होती है जब वास्तविक स्वामी को इस बात की जानकारी हो कि उसकी जमीन पर किसी व्यक्ति से कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वामी बनने का अधिकारी नहीं है"।

15. निर्णय प्र.पी.10 की कंडिका 21 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 (इस व्यवहार वाद का वादी चेतनसिंह) विरोधी आधिपत्य के

Filling no,234503009172014

आधार पर 0.5 डिसमिल भूमि का स्वामी नहीं बना"। वस्तुतः वादी द्वारा प्र.पी.10 के निर्णय के इसी चरण को आधार मानकर यह व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है। प्र.पी.10 की कंडिका क्रमांक 20 को प्रारंभ से यदि पढ़ा जावे तो न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम यही उल्लेख किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 (इस व्यवहार वाद का वादी चेतनसिंह) का यह कहना है कि विरोधी आधिपत्य के आधार पर 0.5 डिसमिल भूमि का वह स्वामी बन गया है, तो यह प्रथमतः प्रमाणित नहीं है। वादी चेतनसिंह ने 0.5 डिसमिल भूमि पर कब्जा किया है। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा यह लेख किया गया है कि यदि तर्क के लिये मान भी लिया जाये तो सीमांकन होता है और वास्तविक जानकारी होती है तब अवैध कब्जा किसका है, उस सीमांकन दिनांक से मर्यादाकाल शुरू होता है, जिससे यह आशय निकाला जा सकता है कि न्यायालय द्वारा प्र.पी.10 के निर्णय में प्रथमतः वादी चेतनसिंह जो उस प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 01 था, का सुमरनसिंह की 0.5 डिसमिल भूमि पर कब्जा नहीं था। इस प्रकार जिस निर्णय का आधार लेकर वादी चेतनसिंह ने विरोधी आधिपत्य का दावा प्रस्तुत किया है, उस निर्णय में ही वादी चेतनसिंह का कब्जा इस प्रकरण के प्रतिवादीगण की भूमि पर होना नहीं पाया था।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत गुरुद्वारा साहब विरुद्ध ग्राम पंचायत ग्राम सिरथला व अन्य 2014 (3) एम पी एल. जे 36 में यह अवधारित किया है कि "विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (1963 का 47), धारा 34 एवं परिसीमा अधिनियम (1963 का 36), धारा 27 एवं अनुच्छेद 64 से 66—प्रतिकूल कब्जा— प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक की कोई भी घोषणा नहीं चाही जा सकती— यद्यपि वादी का कब्जा प्रतिकूल पाया जाता है तो भी इस आशय की घोषणा का अनुरोध नहीं किया जा सकता कि ऐसा प्रतिकूल कब्जा स्वामित्व में परिपक्व हो गया है— केवल जब प्रतिकूल कब्जे में पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां दायर की जाती, तब वह उसके प्रतिकूल कब्जे को कवच प्रतिरक्षा के रूप में प्रयोग में ला सकता है।" इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व घोषणा दी जाना अपने निर्णय में निषेधित किया है। पुनः तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि वादी चेतनसिंह का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य है, तो यह वादग्रस्त भूमि किस खसरा नंबर की भूमि है, वास्तविकता में यह बात बिना सीमांकन रिपोर्ट के प्रमाणित नहीं मानी जा सकती, क्योंकि खसरा नंबर 47/55 तथा खसरा नंबर 47/3-4 की सरहद पर कुंआ होना प्रकट हो रहा है और इसकी वास्तविक स्थिति मौके के सीमांकन रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो सकती थी।

17. इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि के प्रतिकूल आधिपत्य के आधार के लिये वादी का वादग्रस्त भूमि पर वादग्रस्त भूमि के स्वामी की जानकारी में उसके स्वत्व को नकारते हुये शांतिपूर्ण आधिपत्य, जो 12 वर्ष से अधिक अवधि तक का हो, होना प्रमाणित होना चाहिए, जबकि इस प्रकरण में वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 14 में स्वीकार किया है कि वर्ष 2000 से आज तक वादी का वादग्रस्त भूमि को लेकर प्रतिवादीगण से झगड़ा चला आ रहा है, जिससे कि उसका आधिपत्य शांतिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता। उपरोक्त आधारों पर वादी चेतनसिंह वादग्रस्त भूमि पर अपना विरोधी आधिपत्य, जिसे कि प्र.पी.09 मानचित्र में अ, ब, स एवं द से दर्शित किया गया है, प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष :-

18. वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने यह कहा है कि दिनांक 24.04.2014 को वह वादग्रस्त स्थान पर दीवाल बना रहा था, तब प्रतिवादीगण ने उसके निर्माण कार्य में बाधा पहुँचाई और वादी को बेदखल करने का प्रयास किया। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 14 में भी वादी चेतनसिंह वा.सा.01 ने यह कहा है कि वाद प्रस्तुत करने के पूर्व दीवाल बनाने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, परन्तु इस संबंध में कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी साक्षी दीमाकचंद वा.सा.02 ने अपने शपथ पत्र में उपरोक्त विवाद के विषय में कोई कथन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि विवाद के विषय में थाने में रिपोर्ट हुई थी। प्रतिवादी जयपाल प्र.सा.01 ने यह कहा है कि वादग्रस्त कुंआ खसरा नंबर 47/3-4, खसरा नंबर 47/55 की मेढ़ पर बना हुआ है, जिसका उपयोग सभी लोग करते चले आ रहे हैं। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी.03 के ट्रेस नक्शे तथा प्र.पी.09 के वाद मानचित्र से यह दर्शित हो रहा है कि खसरा नंबर 47/3-4, खसरा नंबर 47/55 की सरहद की मेढ़ पर कुंआ स्थित है और चूँकि खसरा नंबर 47/55 की भूमि तथा मेढ़ प्रतिवादीगण की होना प्रकट हो रहा है, प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य की भूमि पर हस्तक्षेप किया जाना भी प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

सहायता एवं खर्च:-

19. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है। अतः वादग्रस्त संपत्ति मौजा दलवाड़ा, प.ह.न.26/13 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 47/55 कुल रकबा 32 डिसमिल की भूमि में से 03 डिसमिल भूमि पर वादी के विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्ति हेतु प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है एवं निम्न आज्ञा पारित की जाती है:-

1. वादी वादग्रस्त संपत्ति मौजा दलवाड़ा, प.ह.न.26/13 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 47/55 कुल रकबा 32 डिसमिल की भूमि में से 03 डिसमिल भूमि पर वादी के विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

2. वादी अपना तथा प्रतिवादीगण का वादव्यय वहन करेगा।

3. अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार आज्ञा तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / -

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर

सही / -

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर